बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

पू.उ.प्र.अं./42/एसएलबीसी/दिसम्बर 2015/ 196 20.05.2016

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति(उ0 प्र0) के समस्त सदस्यों को पत्र

महोदय,

विषय :- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ. प्र.) की दिसम्बर 2015 हेतु समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

कृपया राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ. प्र.) की त्रैमासान्त दिसम्बर 2015 को समाप्त तिमाही हेतु आयोजित बैठक दिनांक 26.02.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस क्रम में उपरोक्त बैठक का कार्यवृत्त आपकी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया विभिन्न कार्य बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अद्यतन प्रगति हमें प्रेषित करें ताकि तदनुसार आगामी बैठक में इसका समावेश किया जा सके।

भवदीय,

(राजीव श्रीवास्तव)
सहायक महाप्रबन्धक
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.), अंचल कार्यालय, पूर्वी उ.प्र. अंचल, 'बड़ौदा हाउस', बी–23, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ –226010
State Level Bankers' Committee (U.P.), Zonal Office, Eastern U.P. Zone, "Baroda House", V-23, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010
फोन/Phone:6677607 (GM), 6677609(Sectt.), 6677722(AGM), 6677721, 6677725 (Deptt.) फैक्स/Fax:0522-6677726, 6677732
ई–मेल/E-mail:slbc.up@bankofbaroda.co.in वेबसाइट/Website : www.slbcup.com

राज्य स्तरीय बैकर्स समिति (उ. प्र.) की दिसम्बर' 2015 तिमाही की दिनांक 26.02.2016 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त

राज्य स्तरीय बैकर्स समिति (उ. प्र.) की दिसम्बर' 2015 त्रैमास की समीक्षा बैठक दिनांक 26.02.2016 को "महाराजा सयाजीराव गायकवाड सभागार", बड़ौदा हाउस, गोमती नगर, लखनऊ में सम्पन्न हुई जिसकी अध्यक्षता श्री मयंक मेहता, कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा, मुम्बई द्वारा की गयी।

बैठक में श्री प्रवीर कुमार, आई.ए.एस., कृषि उत्पादन आयुक्त, उ.प्र. शासन; श्री शिव सिंह यादव, महानिदेशक, संस्थागत वित्त, बीमा एवं बाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय; श्री यशवंत राव, आई.ए.एस., मिशन निदेशक, यू.पी.एस.आर.एल.एम., उ. प्र. शासन; श्री अजय कुमार, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक; श्री गौतम सेन गुप्ता, मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक की उपस्थिति प्रमुख रही। विभिन्न बैंको/वित्तीय संस्थाओ के वरिष्ठ कार्यपालकों तथा राज्य व केन्द्र सरकार के उच्चाधिकारियों ने भी इस बैठक मे सहभागिता की। बैठक मे भाग लेने वाले सहभागियों की सूची संलग्न है।

बैठक के प्रारम्भ मे श्री प्रभात अग्रवाल, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) ने सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत करते हुए निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला :

- प्रदेश में 5000 व इससे अधिक आबादी वाले ऐसे गाँव जहाँ पर वाणिज्यिक बैंको की कोई भी शाखा नही है, उनमें नयी बी एण्ड एम शाखाएँ खोलने हेतु सभी वाणिज्यिक बैंको द्वारा रोडमैप तैयार किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 31.12.2015 को अनुदेश जारी किया था जिसके आधार पर दिनांक 31.03.2017 तक शाखा खोलने हेतु रोडमैप तैयार किया जाना प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में -5000- से अधिक आबादी वाले सभी -3977- गाँवों की जनपदवार सूची समस्त अग्रणी बैंको को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा चुकी है। सदन से अनुरोध है कि सभी बैंक आपस में विचार विमर्श कर रोडमैप को अंतिम रूप देने का प्रयास करें।

- प्रदेश के सभी -75- जिलो के शीर्ष -50- वसूली प्रमाण पत्र वाले खातों को चिन्हित कर प्रदेश सरकार के सहयोग से उनमें वसूली कर एन.पी.ए. में कमी लाने हेतु सभी बैंक समग्र प्रयास करें। एस.एल.बी.सी. एवं बैंको द्वारा इस कार्य में आवश्यक सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रदेश के शीर्ष -3750- वसूली प्रमाण पत्र खाता धारकों की सूची संस्थागत वित्त महानिदेशालय को उपलब्ध करा दी गयी है।

- संस्थागत वित्त महानिदेशालय द्वारा इस दिशा में सभी जिलाधिकारियों को ऐसे खातों में वसूली में सहयोग करने हेतु निर्देश जारी कर दिए गये हैं।

- सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से प्रदेश में बैंको द्वारा -1500- गाँवों का अंगीकरण कर लिया गया है। पिछली एस.एल.बी.सी. बैठक में हुई चर्चा एवं महानिदेशक संस्थागत वित्त महानिदेशालय के आह्वान पर बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा अन्य -536- आदर्श गाँवों को हाल ही में अंगीकृत किया गया है। अन्य बैंको से भी यह अनुरोध है कि शासन की मंशा के अनुरूप इस दिशा में वे प्रयास करें एवं विषयक प्रगति से एस.एल.बी.सी. को अवगत कराते रहें।

- भारत सरकार के दिशा – निर्देशों के अनुरूप वित्तीय समावेशन के विभिन्न घटकों – प्रधानमंत्री जन-धन योजना, सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना आदि की प्रगति एवं

इनके क्लेम्स के समयानुरूप निस्तारण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ ही साथ निम्न बिन्दुओं पर भी सभी बैंकर्स का ध्यानाकर्षण आवश्यक है-

- रूपे कार्ड एवं पिन नम्बर को उनके खाता धारकों को समय से उपलब्ध कराते हुए कार्ड को Activate किया जाना,
- ओवरड्राफ़्ट सुविधा को स्वीकृत करना,
- जीरो बैलेंस खातों में धनराशि जमा करवाना,
- खातों को आधार कार्ड से लिंक कर उन खातों मे लेन देन करना।

इसी क्रम में शासन के दिशा- निर्देशों के अनुरूप वित्तीय साक्षरता का प्रचार प्रसार भी बैंको द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जाये। जिसके लिए स्कूलो का अंगीकरण, स्कूल बैंक चैम्प योजना, आरसेटी संस्थानों/ एफ.एल.सी. केन्द्रों द्वारा साक्षरता कार्यक्रमों का आयोजना किया जाना चाहिए।

- बहुप्रतीक्षित प्रधानमंत्री फसल – बीमा योजना की उदघोषणा की गयी है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे कृषकों को भी शामिल किया गया है जो पूर्व में शामिल नहीं थे। इस योजना की मुख्य विशेषताओं से सभी सम्बद्ध को अवगत करा दिया गया है।
- मुद्रा- ऋण योजना के अंतर्गत आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धियों का प्रतिशत 60.54% है जिसकी समय- समय पर समीक्षा आवश्यक है।
- प्रदेश में सभी बैंको के लम्बित वसूली प्रमाण पत्रों में अपेक्षित सुधार हेतु राज्य सरकार से सकारात्मक सहयोग का आश्वासन मिला है। सभी बैंको द्वारा इस क्रम में अग्रिम कार्यवाही करते हुए वसूली की स्थिति को सुदृढ़ किया जाये।
- विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत बैंको द्वारा निरंतर कार्यवाही करते हुए लक्ष्यों की पूर्ति हेतु प्रयास जारी है।

अपने सम्बोधन के अंत में श्री प्रभात अग्रवाल, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) ने सभी सम्बन्धित विभागों, बैंको एवं अन्य कार्यदायी संस्थाओं से आग्रह किया कि वे प्रदेश के विकास हेतु किये जा रहे कार्यों एवं उपलब्धियों से सम्बन्धित सुसंगत आंकड़ो का ससमय प्रेषण सुनिश्चित करें ताकि प्रदेश की उपलब्धियों व राज्य/ केन्द्र सरकार द्वारा लागू योजनाओं की प्रगति को बेहतर रूप से प्रस्तुत किया जा सके।

अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में श्री मयंक के. मेहता, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने सभागार में उपस्थित अतिथियों का स्वागत किया एवं प्रदेश में प्राप्त विभिन्न उपलब्धियों व सफलता हेतु सभी हितधारकों के सहयोग की प्रशंसा की। प्रदेश के अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण पहलूओं पर भी उन्होंने प्रकाश डाला।

श्री मेहता ने सदन को अवगत कराया कि अप्रैल 2015 से दिसम्बर 2015 के बीच में कुल -460- नयी बैंक शाखाएँ खोली गयी जिसके फलस्वरूप प्रदेश में कुल बैंक शाखाओं की संख्या -17570- हो गयी है। इस क्रम में भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 30.12.2015 के अपने परिपत्र के माध्यम से एस.एल.बी.सी. संयोजक बैंक को यह उत्तरदायित्व सौंपा है कि प्रदेश में 5000 से अधिक आबादी वाले उन गाँवों को चिन्हित किया जाये जहाँ पर कोई भी बैंक शाखा नही है। उन सभी जगहों पर 31.03.2017 तक बैंक शाखा खोलने हेतु रोडमैप तैयार कर लिया जाये। इस सन्दर्भ में एस.एल.बी.सी. द्वारा समस्त बैंको से समंवय स्थापित किया गया है तथा वांछित कार्यवाही शीघ्र पूर्ण किये जाने का अनुरोध है।

जहाँ तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एवं इसके उप क्षेत्रों में अग्रिम का प्रश्न है, प्रदेश में कुल अग्रिम का 56.43% योगदान प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का है। कृषि एवं कमजोर वर्ग क्षेत्र को प्रदत्त अग्रिम क्रमशः 27.13% एवं 17.54% के स्तर पर है जो भारतीय रिजर्व बैंक के मानक स्तर क्रमशः 18% एवं 10% से अधिक है। इस क्षेत्र में सफलता हेतु समस्त बैंक धन्यवाद के पात्र है।

उन्होंने प्रदेश में वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में बैंको द्वारा किये जा रहे कार्यों की सराहना की। साथ ही वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने वित्तीय साक्षरता की आवश्यकता पर बल दिया। इस दिशा में किये जा रहे नये प्रयासों जैसे – स्कूल बैंक चैम्प्स कार्यक्रम, आई.टी.आई. केन्द्रों की मैपिंग एवं वित्तीय साक्षरता केन्द्रों/ ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केन्द्रों आदि की स्थापना में भी बैंको की प्रमुख भूमिका है। वितीय समावेशन कार्यक्रम एवं वित्तीय साक्षरता की सफलता में "बैंक मित्रों" की भूमिका भी महत्वपूर्ण है।

वार्षिक ऋण योजना 2015-16 के अंतर्गत प्रदेश में बैंको द्वारा सराहनीय उपलब्धियाँ हासिल की गयी है। इसी क्रम में 2016-17 वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक ऋण योजना के सृजन की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है। उन्होंने समस्त बैंको से अनुरोध दोहराया कि सरकार प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के लक्ष्यों की शत प्रतिशत पूर्ति हेतु समग्र प्रयास किये जाये।

साथ ही साथ फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कम्पनियां बीमित राशि एवं दावों का निस्तारण शीघ्रता से करें जिससे प्रभावित किसानों को इसका लाभ समय से प्राप्त हो सके।

कार्यकारी निदेशक महोदय ने प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के फलस्वरूप हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए चिन्हित जिलों में राहत पहुँचाने हेतु निर्धारित दिशा- निर्देशों के अंतर्गत विशेष कदम उठाने का आह्वान किया। इसके लिए समस्त बैंको को आपसी सहयोग एवं सामंजस्य से कार्य करने की आवश्यकता है।

श्री मेहता ने प्रदेश में ऋण जमा अनुपात में व्यापक सुधार एवं वृद्धि हेतु बैंकों; वित्तीय संस्थाओं एवं अन्य स्टेक होल्डर्स के सक्रिय सहयोग हेतु आह्वान किया। प्रदेश में 40% से कम ऋण जमा अनुपात वाले जिलों की संख्या में भी कमी करनी होगी और इस कार्य में इसको राष्ट्रीय स्तर पर लाने हेतु सभी बैंकर्स को प्रयास करने होंगे और इस कार्य हेतु प्रदेश सरकार का भरपूर सहयोग भी अपेक्षित है।

प्रदेश में ऋण जमा अनुपात की गणना हेतु आंकड़ो में उन इकाईयों को जारी ऋण सुविधा इत्यादि को भी सम्मिलित कर लिया जाये जो प्रदेश के उत्तर अर्थात नोयडा, मोदीनगर/ मेरठ आदि में स्थित है और जो प्रदेश के अग्रिम के आंकड़ो में अभी तक परिलक्षित नहीं होते है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तीनों घटकों – शिशु, किशोर व तरूण के अंतर्गत प्रदत्त लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु बैंको द्वारा सघन प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

अपने अध्यक्षीय सम्बोधन के अंत में श्री मयंक के. मेहता, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने सदन में उपस्थित सभी सदस्यों का अभिवादन करते हुए प्रमुख मुद्दों के साथ साथ बैंक देयों की वसूली हेतु बैंको द्वारा सघन प्रयास किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया एवं राज्य सरकार के सहयोग का अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने वित्त मंत्रालय भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड के दिशा

निर्देशों का पूरी तरह से पालन करने और आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु समग्र प्रयास करने का आह्वान किया।

श्री प्रवीर कुमार, आई.ए.एस., कृषि उत्पादन आयुक्त, उ. प्र. शासन ने अपने सम्बोधन में कहा कि प्रदेश के विकास में बैंकर्स की अहम भूमिका रही है और उनके समेकित प्रयासों से प्रदेश में वितीय समावेशन कार्यक्रम का सफलता पूर्वक क्रियांवयन किया जा रहा है। बैंको द्वारा जारी रूपे डेबिट कार्ड को सक्रिय करने एवं ग्राहकों को शिक्षित करने हेतु वृहत रूप से अभियान चलाने पर उन्होंने बल दिया। उन्होंने विचार व्यक्त किये कि स्थानीय भाषा में ग्राहको को उनके मोबाइल फोन पर एस.एम.एस. के माध्यम से सूचना प्रेषित की जाये जिससे उन्हें उनके रूपे कार्ड के बारे में सभी सूचनाएँ मोबाइल फोन पर ही उपलब्ध हो जायें क्योकि बहुत से किसानों को अपने खाते के द्वारा मिलने वाले लाभों के बारे मे जानकारी ही नही रहती है।

शाखा विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने जिला प्रशासन से सहयोग दिलाने हेतु भी अपनी सहमति दी। इस कार्य को एक अभियान के रूप में लागू करने पर बल दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि बैंको द्वारा ऐसे ए.टी.एम. स्थापित किये जाने पर विचार किया जाये जिनमें नकद जमा एवं निकासी दोनो की सुविधा उपलब्ध हो। ए.टी.एम. खुलने से बैंक शाखाओं पर कार्य का दबाव कम हो जायेगा।

कृषि उत्पदन आयुक्त महोदय ने स्कूल बैंक चैम्प्स कार्यक्रम के अंतर्गत बैंकर्स द्वारा किये जा रहे कार्यों की सराहना की। इसी सन्दर्भ में उन्होंने कुछ ऐसे बैंको का भी जिक्र किया जिन्होंने अभी तक स्कूल अंगीकरण का कार्य प्रारम्भ ही नही किया है।

प्रदेश के ऋण - जमा अनुपात का उल्लेख करते हुए उन्होनें बताया कि अभी भी उत्तर प्रदेश में ऋण जमा अनुपात का प्रतिशत अन्य राज्यों की अपेक्षा कम है। इसको बढ़ाने हेतु उन्होंने समस्त बैंकर्स का आह्वान किया और इस कार्य को प्राथमिकता पर करने की आवश्यकता बताई।

अपने सम्बोधन के अंत में कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय ने पुनः सभी बैंकर्स से सहयोग की अपेक्षा की और किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए सरल प्रक्रिया लागू करने की आवश्यकता बताई।

श्री शिव सिंह यादव, महानिदेशक, संस्थागत वित, बीमा एवं बाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय, उ.प्र. शासन ने अपने सम्बोधन में माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के बजट भाषण की अनेक महत्वपूर्ण घोषणाओं का उल्लेख किया। इसी क्रम में उन्होंने प्रदेश में प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खोले गये खातों व योजना की सफलता के सम्बन्ध में सदन को अवगत कराया। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में मार्च 2012 से सितम्बर 2015 तक -3889- नयी बैंक शाखायें खोली गयी जो एक सराहनीय कार्य है।

महानिदेशक महोदय ने अवगत कराया कि बैंकिंग एवं बीमा क्षेत्र में जन- शिकायतों के निवारण हेतु हेल्पलाइन 1520 की शुरूआत की गयी है जिसका भरपूर प्रयोग किया जा रहा है। बैंको द्वारा इस दिशा में प्रभावी अनुश्रवण एवं कार्य किये जाने की आवश्यकता है।

प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गयी प्रोत्साहन नीति का उल्लेख करते हुए महानिदेशक महोदय ने उन बैंको को विशेष रूप से कार्य करने हेतु निर्देशित किया जिनकी उपलब्धिया मानको के सापेक्ष कम रही है। इस कार्य में सरकार की ओर से उन्हें पूरा सहयोग प्रदान किया जायेगा।

बैंक ऑफ बड़ौदा BANK OF BARODA राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उ० प्र० ZONAL OFF. (E.UP ZONE) LKO.

अपने सम्बोधन के अंत में उन्होंने सदन में उपस्थित सभी बैंकर्स का आह्वान किया कि वे गाँवों को अंगीकृत करने की दिशा में प्रयास करें। साथ ही प्रदेश व केन्द्र सरकार की सभी योजनाओं पर दृढता व लगन से कार्य करें।

श्री अजय कुमार, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ ने अपने सम्बोधन में निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला-

- सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं के कैपिटल फंड की लगातार क्षति हो रही है। इस कारण बैंकर्स से आह्वान है कि वे कैपिटल बढ़ाने हेतु सुनियोजित तरीके से कार्य करें और इसी से ऋण जमा अनुपात में वृद्धि होगी।
- एम.एस.एम.ई. सेक्टर के अंतर्गत वित्त पोषण से ही बैंको के ऋण जमा अनुपात में वृद्धि सुनिश्चित की जा सकती है।
- इसके साथ ही साथ बैंकर्स को अपने उत्पादों में परिवर्तन करते हुए कुछ नये बदलाव करने होंगे जिससे उनकी मार्केटिंग उचित रूप से की जा सके।
- समाज के निम्न तबके के लोगों को भी ऋण सुविधा आसानी से उपलब्ध हो जिससे वह वर्ग भी स्वरोजगार विकसित कर अपना जीवन- यापन कर सके।
- बैंकर्स को विधिवत प्रशिक्षण दिया जाना भी आवश्यक है साथ ही साथ बैंकर्स द्वारा ग्राहक सेवा पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ग्राहकों की शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिए।

श्री जोगी मेघनाथ, महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक ने पी.पी.टी. के माध्यम से निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला –

- बैंकर्स द्वारा फसल बीमा योजना के अंतर्गत सभी पात्र किसानों को शामिल किया जाना और उनके खातो से काटे गये प्रीमियम की धनराशि को सम्बन्धित बीमा कम्पनी को समय से प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाना,

- ग्राहकों की शिकायतों का शीघ्र निस्तारण,

- किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाली वितीय सुविधाओं का उचित उपयोग किसानों द्वारा किया जाना एवं इसके लिए स्केल ऑफ फाइनेंस का ध्यान रखते हुए बैंकर्स द्वारा आवश्यक कार्यवाही,

- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता हेतु जारी आवश्यक दिशा निर्देशों का अनुपालन,

उपस्थित गणमान्य अतिथियों के सम्बोधन के उपरांत पावर प्वाइंट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा हेतु स्थिति प्रस्तुत की गयी -

कार्यसूची संख्या – 1

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की दिनांक 15.12.2015 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि :

विगत बैठक दिनांक 15.12.2015 के कार्यबिन्दु एवं कार्यवृत्त जो सभी सदस्यों को दिनांक 08.02.2016 को प्रेषित किया गया था, की सदन द्वारा पुष्टि की गयी।

कार्यसूची संख्या – 2

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की दिनांक 15.12.2015 को आयोजित बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट

1. प्रदेश के सभी जनपदों में बैंको द्वारा आर – सेटी संस्थानो की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम 1 एकड़ भूमि का नि:शुल्क आवंटन :

सदन को अवगत कराया गया कि पंजाब नेशनल बैंक के समंवय में दिनांक 19.02.2016 को सम्पन्न राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की उप समिति की बैठक में इस विषयक विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की गयी एवं सदन को अद्यतन स्थिति से अवगत कराया गया। इस क्रम में पंजाब नेशनल बैंक और सिण्डीकेट बैंक के अग्रणी जिलों - शामली व सम्भल तथा हापुड में आर- सेटी की स्थापना हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से मार्गदर्शन प्रतीक्षित है।
सदन को यह भी अवगत कराया गया कि सुल्तानपुर जिले में भूमि आवंटन की प्रक्रिया की जा रही है। इसी क्रम में मिशन निदेशक, उ.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने देवरिया जनपद के गौरी बाजार क्षेत्र में आर- सेटी की स्थापना हेतु जनपद के अग्रणी बैंक – सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया को वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुरोध किया।

2. बड़ौदा यू पी ग्रामीण बैंक को Recapitalization assistance प्रदान करना :

सदन को अवगत कराया गया कि संस्थागत वित्त महानिदेशालय, उ0 प्र0 से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस विषय पर भारत सरकार को कतिपय बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण का अनुरोध प्रेषित कर दिया गया है जिस पर प्रत्युत्तर प्रतीक्षित है।

3. प्रदेश में कार्यरत स्वयं सहायता समूहों हेतु स्टैम्प ड्यूटी पर छूट का प्रावधान :
सदन मे विषयक चर्चा की गयी और सदन को बताया गया कि यह प्रकरण प्रदेश सरकार में उच्च स्तर पर विचाराधीन है। अंतरिम अवधि में वर्तमान पद्धति से ही कार्य किया जा रहा है।

कार्यसूची संख्या – 3

वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों का क्रियांवयन

क) प्रधानमंत्री जन –धन योजना (पी.एम.जे.डी.वाई.)

सदन को अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा लागू इस सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त योजना की उच्च स्तरीय समीक्षा नियमित रूप से की जा रही है। इसी क्रम में सदन को बताया गया कि "प्रधानमंत्री

जन- धन योजना" के क्रियांवयन में प्रदेश को पूरे भारतवर्ष में, दस में से छः मानदण्डों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है।

यद्यपि रूपे कार्ड जारी करने में तो बैंको द्वारा अच्छा कार्य किया गया है परंतु अनेक मामलों में इन कार्डस को उसके धारक तक नहीं पहुँचाया जा सका है। अतः रूपे कार्डस प्रेषण के बारे में बैंकर्स को सुनियोजित ढंग से कार्य करना आवश्यक है। इसके साथ ही कार्ड धारक को इसके एक्टीवेशन के बारे में जागरूक करना होगा जिससे -90- दिन के अन्दर वे अपने कार्ड को एक्टीवेट कर सके तभी इसका लाभ ग्राहक को मिल सकता है। सदन में इन अवितरित कार्डस के प्रेषण के बारे में व्यापक चर्चा हुई और सभी सम्बद्ध को बताया गया कि इन कार्डस के वितरण, पिन वितरण, एक्टीवेशन एवं रख रखाव से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं पर जागरूकता एवं आवश्यक निगरानी सतर्कता का ध्यान रखा जाये।

इसी क्रम में प्रदेश में कार्यरत बैंक मित्रों (Business Correspondents) की कार्यप्रणाली पर भी चर्चा की गयी। सभी बैंको को बैंक मित्रों को Verification Call करने हेतु आह्वान किया गया जिससे यह पता चल सके कि वे अपने कार्यस्थल/ग्राहक सेवा केन्द्र पर उपस्थित है और सुचारू रूप से कार्य कर रहे है अथवा नही। सभी बैंको से अनुरोध दोहराया गया कि वे अपने बैंक के बैंक मित्रों को कॉल करें और उनके आंकडे एस.एल.बी.सी. को नियमित रूप से भेंजे जिससे समेकित आंकडे वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को समयानुसार प्रेषित किये जा सके। आधार सीडिंग पर भी चर्चा की गयी तथा प्रदेश में आधार सीडिंग की वर्तमान स्थिति पर चिंता व्यक्त की गयी। इस मानक पर व्यापक सुधार हेतु सभी स्टेक होल्डर्स द्वारा सम्मिलित प्रयास किये जाने का आह्वान किया गया।

<u>ख) स्कूल बैंक चैम्प्स कार्यक्रम -</u>

स्कूल विद्यार्थियों को वित्तीय जागरूकता एवं वित्तीय साक्षरता से अवगत कराने हेतु भारतीय बैंक संघ (Indian Bank's Assocation) ने "स्कूल बैंक चैम्प्स कार्यक्रम" का शुभारम्भ समस्त बैंकर्स के माध्यम से किया है। इस पहल के अंतर्गत बैंको की सभी शाखाओं द्वारा एक विद्यालय को अंगीकृत किया जाना है। सदन को बैंकवार अद्यतन प्रगति से अवगत कराया गया तथा सभी चयनित स्कूलों में कार्यक्रमों के शीघ्र आयोजन हेतु अनुरोध किया गया।

<u>ग) सुरक्षा योजनाओं के क्लेम्स का निस्तारण-</u>

भारत सरकार द्वारा उदघोषित दोनों सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना व प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत प्राप्त क्लेम्स की स्थिति सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी तथा सभी लम्बित क्लेमस का त्वरित निस्तारण बैंकर्स द्वारा किये जाने पर विस्तृत चर्चा की गयी।

एस.एल.बी.सी. की विभिन्न उपसमितियों की समीक्षा बैठकों की अद्यतन स्थिति से निम्नानुसार सदन को अवगत कराया गया :

1. फसल बीमा एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु गठित उपसमिति (संयोजक- बैंक ऑफ बड़ौदा) की बैठक का आयोजन दिनांक 18.02.2016 को नाबार्ड में किया गया।
2. आर सेटी की उपसमिति (संयोजक- पंजाब नेशनल बैंक) की बैठक दिनांक 19.02.2016 को आयोजित की गयी।

3. बुनकर क्रेडिट कार्ड की प्रगति की समीक्षा हेतु गठित उपसमिति (संयोजक- सिण्डीकेट बैंक) की बैठक दिनांक 23.02.2016 को आयोजित की गयी।
4. कृषि क्षेत्र एवं ऋण जमा अनुपात हेतु गठित उपसमिति (संयोजक- यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया) की बैठक का आयोजन दिनांक 10.03.2016 को प्रस्तावित है।
5. बैंक देयों की वसूली हेतु गठित उपसमिति (संयोजक- इलाहाबाद बैंक) की बैठक दिनांक 30.03.2016 को प्रस्तावित है।
6. वित्तीय समावेशन कार्यक्रम की उपसमिति (संयोजक- भारतीय स्टेट बैंक) की बैठक का आयोजन विगत काफी समय से लम्बित है।

इन उपसमितियों की बैठकों में लिए गये विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय एवं कार्यबिन्दुओं से सदन को अवगत कराया गया।

कार्यसूची संख्या – 4

(हथकरघा क्षेत्र के अंतर्गत बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना का क्रियांवयन)

सदन को अवगत कराया गया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुनकरों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप वित्तीय सहायता पहुँचाना है। यह योजना सभी ग्रामीण एवं अर्ध शहरी, शहरी क्षेत्रों में लागू है।

योजनांतर्गत प्रगति की नियमित समीक्षा हेतु सिण्डीकेट बैंक के समंवयन में एस.एल.बी.सी. की एक उपसमिति का गठन किया गया है जो योजनांतर्गत प्रगति की नियमित समीक्षा करती है। इस उपसमिति की दिसम्बर तिमाही की बैठक दिनांक 23.02.2016 को सम्पन्न हुई थी। प्रदेश में इस योजनांतर्गत 20% की धीमी प्रगति परिलक्षित हुई है और 25000 वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 5000 मामलों में यह सुविधा प्रदान की गयी है। वार्षिक लक्ष्यों की पूर्ति हेतु सदन में उपस्थित सभी सदस्य बैंको से अनुरोध किया गया।

कार्यसूची संख्या – 5

(वार्षिक ऋण योजना 2015-16 की समीक्षा)

वार्षिक ऋण योजना 2015-16 के अंतर्गत दिसम्बर' 2015 तक की बैंकवार/ सेक्टरवार प्रगति से सदन को अवगत कराया गया जिसके अनुसार वितीय वर्ष की तृतीय तिमाही तक वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति का प्रतिशत 66.34% रहा है। इसके विभिन्न सेक्टरवार प्रगति- कृषि -64%; लघु उद्यम- 92%; सेवा क्षेत्र- 53% उपलब्धि हासिल की गयी है।

सदन को अवगत कराया गया कि नाबार्ड द्वारा वितीय वर्ष 2016-17 हेतु पी.एल.पी. तैयार कर लिया गया है जिसका आकार लगभग रू. 177917.03 करोड़ है। बैंकर्स द्वारा जनपद स्तरीय पी.एल.पी. के आधार पर वार्षिक ऋण योजना के सृजन हेतु कार्यवाही कर वार्षिक ऋण योजना को अंतिम रूप देते हुए 31.03.2016 तक अवश्य लागू किया जाना अपेक्षित है। इसी क्रम में एक बार पुनः समस्त अग्रणी जिलों से सम्बन्धित LBS MIS I, II व III का ससमय प्रेषण एस.एल.बी.सी. को सुनिश्चित करने हेतु सभी सम्बन्धित से अनुरोध किया गया ताकि समेकित आंकड़ो का ससमय प्रेषण भारतीय रिजर्व बैंक, संस्थागत वित्त महानिदेशालय व अन्य एजेंसीज को निर्धारित समयावधि पर किया जा सके।

कार्यसूची संख्या – 6

(ऋण जमा अनुपात)

सदन में प्रदेश के कम ऋण जमा अनुपात (CD Ratio) पर विस्तृत चर्चा हुई और इसे बढाने हेतु विचार विमर्श किया गया। यह अवगत कराया गया कि बैंको द्वारा प्रेषित आंकड़ो के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि दिसम्बर 2014 के सापेक्ष दिसम्बर 2015 में ऋण जमा अनुपात में 1.75% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गयी है और समीक्षा अवधि के दौरान तिमाही में भी 1.74% की वृद्धि हुई है। प्रदेश में ऋण जमा अनुपात की वृद्धि हेतु कृषि क्षेत्र के अंतर्गत बड़े उद्यमों को वित्त पोषण करने हेतु वृहद चर्चा की गयी।

कार्यसूची संख्या – 7

(पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने हेतु प्रदेश में कृषि ऋण प्रवाह की समीक्षा)

सदन को अवगत कराया गया कि प्रदेश के -28- पूर्वी जनपदों, जहाँ इस योजना का क्रियांवयन किया जा रहा है, में नाबार्ड द्वारा प्रेषित सब प्लान के अंतर्गत हो रही कार्यवाही की यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा विस्तृत समीक्षा की जा रही है।

कार्यसूची संख्या – 8

(किसान क्रेडिट काई/ फसली ऋण/व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना/आर.के.बी.वाई.)

सदन को अवगत कराया गया कि प्रदेश में कार्यरत सभी बैंको द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजनांतर्गत आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की जा रही है। योजनांतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में तृतीय तिमाही तक प्रदेश मे कुल -39,73,197- किसानों को इस योजनांतर्गत आच्छादित किया गया है जिनमें से -27,03,659- किसानों के किसान कार्डस का नवीनीकरण किया गया है तथा कुल -12,69,538- नये कार्ड, किसानों को जारी किये गये है। सदन में इस प्रकरण पर भी विस्तृत चर्चा की गयी कि प्रदेश के समस्त किसानों को इस योजना से आच्छादित किया जाये जिससे पूरा प्रदेश संतृप्त घोषित किया जा सके। साथ ही साथ समस्त किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को फसल बीमा योजना के अंतर्गत शामिल करना भी अनिवार्य है।

निदेशक, कृषि साख्यिकी श्री वी. के. सिंह ने अपने सम्बोधन मे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए सदन में उपस्थित समस्त बैंकर्स से आह्वान किया कि वे इस योजना का लाभ समस्त के.सी.सी. धारकों को पहुँचाये। यह योजना 01.04.2016 से प्रदेश में लागू की जा रही है।

सदन में इस बात की भी चर्चा की गयी कि बीमित किसानों को, उनके प्रीमियम धनराशि की कटौती का विवरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रीमियम कटौती की रसीद दी जानी चाहिए।

कार्यसूची संख्या – 9

(सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों हेतु ऋण प्रवाह)

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों को बैंको द्वारा प्रदान किये जा रहे ऋणों की स्थिति पर सदन में चर्चा की गयी। इस क्रम में भारत सरकार की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की समीक्षा अवधि तक प्रगति पर विस्तृत चर्चा

की गयी तथा समस्त बैंको द्वारा इस योजना के अंतर्गत आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु सघन प्रयास किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

सदन को अवगत कराया गया कि CGTMSE क्षेत्र में वित्त पोषण कवरेज हेतु उत्तर प्रदेश का पूरे देश में प्रथम स्थान रहा है।

आर्टिजन क्रेडिट कार्ड योजनांतर्गत प्रगति से सदन को अवगत कराया गया।

कार्यसूची संख्या – 10

(साहूकारी ऋण मुक्ति योजना एवं संयुक्त देयता समूह)

योजनांतर्गत प्रगति से सदन को अवगत कराया गया।

कार्यसूची संख्या – 11

(कृषि एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वसूली, वसूली प्रमाण पत्र निर्गत खाते एवं गैर निष्पादक आस्तियाँ)

कृषि एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत प्रदेश में बैंको की ऋण वसूली की स्थिति पर चर्चा के दौरान बैंक ऋण वसूली हेतु किये जा रहे प्रयासों व प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त सहयोग की सदन द्वारा सराहना की गयी एवं और अधिक सहयोग का अनुरोध दोहराया गया।

यह भी अवगत कराया गया कि गैर निष्पादक आस्तियों के सन्दर्भ में वाणिज्यिक बैंको का स्तर थोड़ा बढा है जबकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के एन.पी.ए. स्तर में थोड़ी कमी आयी है। बकाया बैंक देयों की वसूली में व्यापक सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

कार्यसूची संख्या – 12

(अल्पसंख्यक समुदाय को वित्तीय सहायता)

बैंको द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। इस सम्बन्ध में सदन को अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुए बताया गया कि प्रदेश के -21- चिन्हित जनपदों में इस समुदाय को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का 24.47% वित्त पोषण किया गया जो 15% के निर्धारित मानक से कहीं अधिक है।

कार्यसूची संख्या – 13

(स्वयं सहायता समूह)

बैंको द्वारा स्वयं सहायता समूहों/महिला स्वयं सहायता समूहों के नाबार्ड के सहयोग से सृजन व बैंक लिंकेज का कार्य बैंको द्वारा सफलतापूर्वक किया जा रहा है। सदन को यह बताया गया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार यह योजना नाबार्ड के सहयोग से आठ पिछड़े जिलों में एंकर एन.जी.ओ. के माध्यम से भी चलायी जा रही है। इसी क्रम में नाबार्ड के सहयोग से स्वयं सहायता समूहों के ग्राम स्तरीय मेगा क्रेडिट लिंकेज कैम्प का आयोजन भी किया जाना है। जिसके सन्दर्भ में आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश ने अपने पत्रांक 495/478/नाबार्ड- एम.एफ & एफ.आई./यू.पी.एस.आर.एल.एम/लखनऊ 2015 द्वारा उत्तर प्रदेश के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को इस आयोजन हेतु निर्देशित किया है जिसमें

बैंक ऑफ बड़ौदा BANK OF BARODA राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उ० प्र० ZONAL OFF. E.UP ZONE LKO. अंचल कार्यालय (पू०उ०प्र० अंचल), लखनऊ

समस्त बैंको व अन्य सम्बद्ध से आवश्यक कार्यवाही करने हेतु कार्य योजना बनाने हेतु अनुरोध किया गया।

कार्यसूची संख्या – 14

(विभिन्न गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन कार्यक्रमों की समीक्षा)

"राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन – एन.आर.एल.एम."

भारत सरकार की यह एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका क्रियांवयन प्रदेश के चयनित -31- जनपदों के -78- विकासखण्डों में Intensive आधार पर किया जा रहा है। इस क्रम में एस.आर.एल.एम. के मिशन निदेशक ने सदन को योजनांतर्गत प्रगति से अवगत कराया। उन्होंने इस मिशन द्वारा योजनांतर्गत एक मेगा कैम्प आयोजित करने का जिक्र भी किया। इस कैम्प में इन समूहों के बैंक क्रेडिट लिंकेज करने हेतु आवेदन पत्रों का त्वरित निस्तारण करने की योजना बतायी गयी।

बैंको से अनुरोध किया गया कि योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें।

"राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन – एन.यू.एल.एम."

भारत सरकार द्वारा लागू की गयी यह योजना शहरी वर्ग के लिए है जिसकी नोडल एजेंसी "सूडा" है जो समूहों के साथ साथ व्यक्तिगत लाभ्यार्थियों को भी वित्त पोषित करती है। इस योजना की चर्चा करते हुए नोडल एजेंसी के प्रतिनिधि ने सदन को बताया कि इस योजनांतर्गत 7% ब्याज दर पर ऋण देने का प्रावधान है और बाकी Interest Subsidy के रूप में दी जाती है। अतः इस योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों को बैंको द्वारा त्वरित निस्तारण करने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम – पी.एम.ई.जी.पी.

भारत सरकार द्वारा लागू की गयी यह योजना नोडल एजेंसी – 'के.वी.आई.सी.' के माध्यम से क्रियांवित की जा रही है। योजनांतर्गत प्रगति से सदन को अवगत कराया गया। नोडल एजेंसी द्वारा योजनांतर्गत प्राप्त Margin Money की धनराशि को समायोजित करने हेतु बैंकर्स को आवश्यक निर्देश जारी करने हेतु चर्चा की गयी।

विशेष समंवित योजना (एस.सी.पी.)

इस योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण एवं हुई प्रगति पर चर्चा की गयी। इसी क्रम में स्कैवेंजर्स के पुनर्वास हेतु अधिनियम 2013 की चर्चा करते हुए सदन को यह बताया गया कि उ.प्र. में अभी भी -10016- स्कैवेंजर्स कार्य कर रहे है जिनमे -4000- बरेली व मुरादाबाद में है। एजेंसी के प्रतिनिधि से इन आंकड़ो को एस.एल.बी.सी. को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया जिससे बैंकर्स के माध्यम से उनको वित्त पोषण हेतु कार्यवाही किया जा सके।